अपील सूचना अधिकार संख्या 54/2019 (RCMS 2019/00102) श्री राधेश्याम गोयल पुत्र भगवानदास गोयल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं कोष कार्यालय, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

23.09.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुआ। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी ने अपनी बहस में कहा कि उसने लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 14.06.2019 को एक प्रार्थना पत्र पेश करके सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत 07 बिन्दुओं की सूचना चाही थी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे निश्चित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसे लोक अधिकारी से वांछित बिन्दुवार सूचनाएं उपलब्ध करवाई जावे।

मैनें उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 14.06.2019 को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

1 प्रभारी अधिकारी, पंजीयन अधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्रांक 651 दिनांक 05.04.2019 आपके कार्यालय में पहुंचने की तारीख व आर.आर. के क्रमांक की सूचना व प्रमाणित प्रति।
2. पत्र प्राप्ति से दिनांक 14.06.2019 तक जो जो कार्यवाही की गई उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
3. पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रति।
4. स्टाम्प वेण्डर श्री महेन्द्र छाबड़ा द्वारा वर्ष 2000 का स्टाम्प रजिस्टर आपके कार्यालय में जमा कराये जाने की दिनांक की सूचना व जमा करने वाले कर्मकार व अधिकारी का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रति।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

5. श्री महेन्द्र छाबड़ा द्वारा स्टाम्प रजिस्टर श्रीमान के कार्यालय में जमा न कराने की अवस्था में श्रीमान् जिला कलक्टर के निर्देशानुसार सम्बन्धित स्टाम्प वेण्डर के विरूद्ध जिला पंजीयन (जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर) के दिशा निर्देशानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने सम्बन्धी सूचना स उसकी प्रमाणित प्रति।
6. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के दिशा निर्देशानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न करवाने के नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।
7. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के उपरोक्त पत्रांक की पालना में एफ.आई.आर. दर्ज करवाकर पालना रिपोर्ट एक सप्ताह में जिस नियम के अधीन पालना रिपोर्ट नहीं दी गई, उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में लोक सूचना अधिकारी एवं अति जिला कलक्टर श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक आर.टी.आई./2019/675 दिनांक 02.08.19 से अपीलार्थी को कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्रांक 81 दिनांक 29.07.2019 की प्रति भिजवाई है, जिसके अनुसार निम्नानुसर जवाब दिया है :

क्र.सं	बिन्दु	जवाब
1	प्रभारी अधिकारी, पंजीयन अधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्रांक 651 दिनांक 05.04.2019 आपके कार्यालय में पहुंचने की तारीख व आर.आर. के क्रमांक की सूचना व प्रमाणित प्रति।	प्रभारी पंजीयन अधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्रांक 651 दिनांक 05.04.2019 इस कार्यालय में दिनांक 09.04.2019 को प्राप्त हुआ । पत्र प्राप्ति रजिस्टर की छाया प्रति संलग्न है।
2	पत्र प्राप्ति से दिनांक 14.06.2019 तक जो जो कार्यवाही की गई उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।	उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में श्रीमान् प्रभारी अधिकारी (मुद्राक), श्रीगंगानगर को कार्यालय के पत्रांक 60 दिनांक 08.05.2019 द्वारा रिपोर्ट प्रेषित है। प्रति संलग्न है।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

3	पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रति।	श्री सुरेन्द्र सिंह असीजा, जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर
4	स्टाम्प वेण्डर श्री महेन्द्र छाबड़ा द्वारा वर्ष 2000 का स्टाम्प रजिस्टर आपके कार्यालय में जमा कराये जाने की दिनांक की सूचना व जमा करने वाले कर्मकार व अधिकारी का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रति।	स्टाम्प वेण्डर श्री महेन्द्र छाबड़ा द्वारा वर्ष 2000 का स्टाम्प रजिस्टर जमा होना नहीं पाया जाता है।

-sd-
कोषाधिकारी
श्रीगंगानगर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष**

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस दृष्टिकोण से लोक सूचना अधिकारी द्वारा उक्तानुसार जो उत्तर दिया गया है, वह सही है किन्तु अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 14.06.2019 से लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर से 7 बिन्दुओं की सूचना चाही थी परन्तु लोक सूचना अधिकारी ने अपीलार्थी को 1 से 4 बिन्दुओं की ही सूचना उपलब्ध करवाई है शेष बिन्दु संख्या 5 से 7 की सूचना उपलब्ध नहीं करवाई हैं। इसलिए लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता हे कि वे अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 5 से 7 की सूचना नियमानुसार उपलब्ध करवायें। इसलिए अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः अपीलार्थी की अपील उक्त विवेचन के आधार पर निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर एवं कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 23.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर